



भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

विश्वविद्यालय/शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में प्रश्नावली

**QUESTIONNAIRE REGARDING IMPLEMENTATION OF RESERVATION IN UNIVERSITY/
EDUCATIONAL/RESEARCH INSTITUTIONS**

विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान का नाम और पता.....

Name and address of the University/Educational Institution

नियंत्रक मंत्रालय/विभाग का नाम

Name and address of the Controlling Ministry/Deptt.

1. (i) कृपया विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान की गतिविधियों पर एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी के साथ संगठन के गठन को दर्शाने वाला एक चार्ट प्रस्तुत करें।
Please furnish a chart showing the organisational set-up, with a self-contained note on activities of the University/Educational Institution.
- (ii) कृपया विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों के सभी एककों/स्थापनाओं/विभागों के पते की सूची के साथ उनका संगठनात्मक गठन प्रस्तुत करें।
Please furnish list with address of all units/establishments/departments of the University/Institutions and their organizational set-up.
2. कृपया यह दर्शाते हुए कि क्या बोर्ड के सदस्यों में से कोई अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान के शासी निकाय की संरचना बताएं।
Please give the composition of the Governing body of the University/Educational Institution indicating whether any of the Board members belongs to ST.
3. कृपया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में लागू आरक्षण की प्रतिशतता और निम्न के संबंध में तारीख बताएं जब से प्रवर्तन में आई:-
Please state the percentage of reservation application in favour of SC/ST and the dates from which enforced in respect of :-
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद
Posts filled by direct recruitment
 - (ii) पदोन्नति द्वारा भरे गए पद
Posts filled by promotion
4. कृपया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी गई रियायतों/छूट को इंगित करते हुए विभिन्न ग्रेडों में पदों की विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया बताएं।
Please state the procedure followed for direct recruitment to various categories of posts in various grades/indicating the concessions/relaxation given to SC/ST.

5. कृपया पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट/रियायत को इंगित करते हुए संगठन में अनुसरण की जाने वाली पदोन्नति में आरक्षण नीति दर्शाएं।

Please state the reservation policy in promotion followed in the Organisation indicating the relaxation/concession given to SC/ST employees in promotions.

6. संगठन में तकनीकी एवं गैर तकनीकी दोनों प्रकार के पदों की श्रेणियां कौन-सी हैं जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण विहित नहीं है और उसके कारण। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों के लिए ऐसे पदों का स्तर, वेतन श्रृंखला और ऐसे पदों की संख्या को भी इंगित करते हुए पृथक रूप से सूचना दी जाए।

What are the categories of posts in the Organisation both technical and non-technical for which reservation for SC/ST has not been prescribed and the reasons thereof? Information may be given separately for direct recruitment and promotion of posts indicating also the level, pay scales and number of such posts.

7. क्या संगठन एवं कर्मचारी संघों के बीच समझौते को छोड़कर कोई करार है जो सीधी भर्ती, पदोन्नति और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर सरकारी नीति के मार्ग में आता है। यदि ऐसा है तो विवरण दें।

Are there any subsisting agreements between the Organisation and the Employees Unions which come in the way of Government Policy on reservation for SC & ST in the matter of direct recruitment, promotion and admission to various courses? If so, give details.

8. कृपया निम्नलिखित प्रपत्र में (अलग-अलग) **पूरे संगठन में** जब आरक्षण प्रवर्तन में आया उस तिथि और 01.01.1991, 02.07.1997 (पद आधारित रोस्टर के लागू होने की तारीख) और 01.01.2011 को अलग-अलग स्टाफ संख्या दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करें:-

Please furnish a statement showing staff strength separately as on the date when reservation were enforced **in the whole Organisation** and as on 1.1.1991, 02.07.1997 (date of implementation of Post Based Roster) & 1.1.2011 in the prescribed Proforma (separately as on each date).

पदों की श्रेणी Category of post	कर्मचारियों की कुल संख्या Total No. of Employees	कर्मचारियों की संख्या Number of Employees		प्रतिशतता Percentage		टिप्पणियां Remarks
		अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
कुल Total						

- 9.(क) कृपया निम्नलिखित प्रपत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान की गई भर्ती को दर्शाते हुए वर्षवार विवरण प्रस्तुत करें :

Please furnish statement, year-wise in the following proforma showing the recruitment made during the last three years (separately for each year).

वर्ष Year	पदों की श्रेणी Category of Post	कुल घटित रिक्तियों की सं० Total No. of vacancies occurred	वास्तव में भरी गई रिक्तियों की सं० कुल सं० Total No. of vacancies actually filled	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या No. of vacancies reserved for Scheduled Castes.		
				पिछले वर्ष से अग्रेषित C/F from Previous Year	वर्ष के दौरान आरक्षित Reserved during the Year	कुल Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

जारी.....

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की सं० No. of vacancies reserved for STs			नियुक्त उम्मीदवारों की सं० No. of candidates appointed		अग्रेषित रिक्तियों की सं० No. of vacancies carried forward	
पिछले वर्ष से अग्रेषित C/F from previous year	वर्ष के दौरान आरक्षित Reserved during the year	कुल Total	अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

- (ख) कृपया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे के विरुद्ध उनके नियोजन में कोई कमियां हैं तो उनके कारण और उन कमियों को दूर करने के लिए किए गए या करने को प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों के बारे में और उसकी समय-सीमा के बारे में बताएं।

Please state the reasons for shortfalls, if any in the employment of SCs/STs against their reserved quota and the remedial measures taken or proposed to be taken to wipe out the shortfall and time-framing thereof.

- (ग) कृपया इंगित करें कि क्या विद्यमान भर्ती नियमों एवं पदोन्नति नीति के अन्दर ही विभिन्न श्रेणियों में रिपोर्ट की गई कमियों को दूर करना संभव है। यदि हां तो, उसकी अनुमानित समय-सीमा। यदि नहीं तो, इस संबंध में कार्य योजना क्या है?

Please indicate whether it is possible to wipe out the reported shortfalls in the various categories within the existing Recruitment Rules and Promotion Policy. If yes, expected time-frame thereof. If not, what is the Action Plan in this regard?

10. कृपया 02.07.1997, 01.07.2001, 01.07.2004 और 01.07.2008 को चिन्हित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बैकलॉग रिक्तियों की संख्या एवं अब तक लॉन्च किए गए विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरी गई रिक्तियों सहित रिक्तियों की संख्या दर्शाएं। बैकलॉग एवं विशेष भर्ती अभियान द्वारा कवर की गई अवधि को देते हुए प्रत्येक विशेष भर्ती अभियान के संबंध में पृथक रूप से पदों की सभी श्रेणियों के लिए आंकड़े दिए जाएं।

Please indicate the number of backlog vacancies for SC & ST identified as on 2.7.1997, 1.7.2001, 1.7.2004 and 1.7.2008 and number of vacancies filled including

those through the special recruitment drives launched so far. Figure may be given for all categories of posts separately in respect of backlog and each SRD giving the period covered by SRD.

11. कृपया पदों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या और उनमें से क्रमशः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या एवं प्रतिशतता दर्शाते हुए निम्नलिखित प्रपत्र में अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करें—
Please furnish a statement in the following proforma showing the total number of employees promoted and the number and percentage of SCs & STs respectively among them during the last three years in respect of each category of posts (separately for each year).

पदों की श्रेणी Category of Post	कर्मचारियों की कुल संख्या Total No. of Employees Promoted	कर्मचारियों की संख्या No. of Employees		प्रतिशतता Percentages		टिप्पणियां Remarks
		अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

12. संगठन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या जांच-बिन्दु अपनाए गए हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का उचित रूप से कार्यान्वयन हो।
What are the checks-points devised by the Organisation to ensure that the reservation policy for SC/ST is implemented properly?
13. क्या मानव संसाधन विकास नीति में अपनी कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त सहयोग/प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रावधान है। कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए ऐसे प्रावधानों का विवरण दें।
Is there any provision in the HRD Policy to provide extra support/training to ST employees to enable them to cover up their deficiencies? The details of such provisions may be spelt out for each category of employees.
14. (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?
What is the procedure prescribed for redressal of grievances of SC/ST employees?
- (ख) क्या संगठन में संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है, यदि हां तो कृपया संपर्क अधिकारी के स्तर की स्थिति इंगित करें?
Has the Organisation appointed a Liaison Officer, if so, please indicate the position of the level of Liaison Officer?
- (ग) क्या मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापना की गई है? यदि हां तो कृपया इस प्रकोष्ठ की संरचना और इससे संबद्ध स्टाफ को इंगित करें।
Has SC/ST Cell has been set-up under the direct control of Chief Liaison Officer/ Liaison Officer? If so, please indicate the composition of this cell and the staff attached to it?

- (घ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतें दर्ज करने के लिए शिकायत पंजिका का रख-रखाव किया जा रहा है? क्या कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रचालन में है? यदि नहीं तो उसके कारण और उसको लागू करने के अनुमानित समय-सीमा?
Is a complaint register being maintained in order to register grievance of SC & ST employees? Is a computerised Grievances Management System in operation, if not, reasons thereof and the expected time-frame for its introduction?
- (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं?
How many complaints were received from SC/ST employees during the last three years?
- (च) इन शिकायतों की प्रकृति, पक्ष में निपटायी गई शिकायतों की संख्या और प्रत्येक शिकायत के निपटान के लिए लिया गया समय क्या था? निपटान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति भी प्रस्तुत करें।
What was the nature of these complaints, the number of complaints disposed of favourably and the time taken for disposal of each complaint? The number and nature of complaints pending for disposal may also be furnished.
- (छ) क्या आपके समक्ष सामाजिक उत्पत्ति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न या भेदभाव का कोई मामला आया है? यदि हां तो पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या एवं इनमें की गई कार्रवाई?
Have you come across any case(s) of harassment or discrimination against SC and ST employees on grounds of social origin? If yes, the number of such cases during the last three years and the action taken therein?
- (ज) क्या विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों का निवारण करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करता है?
Does the Department hold periodical meetings with SC/ST employees to sort out their problems and grievances?
15. (क) क्या सभी पदों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु इस विषय पर आदेशों के अनुसार रोस्टर्स का रख-रखाव किया जा रहा है?
Are rosters being maintained for direct recruitment and promotion for all posts as per orders on the subject?
- (ख) क्या रोस्टर्स के रख-रखाव के लिए सीधी भर्ती में पदों के समूहीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है? यदि हां तो कृपया समूहीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत कवर होने वाली उनकी वेतन श्रृंखला के साथ पदों को इंगित करते हुए विवरण दीजिए। कृपया पदों के समूहीकरण को अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी को भी इंगित कीजिए।
Is the procedure of grouping the posts in the direct recruitment adopted for maintaining rosters? If so, please give details indicating the posts with their pay scale covered under the grouping procedure. Also, please indicate the authority who approved the grouping of posts.
- (ग) क्या रोस्टर्स का संपर्क अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जा रहा है? यदि हां तो कृपया पिछले तीन वर्षों के लिए संपर्क अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
Are the rosters being periodically inspected by the Liaison Officer? If so, please furnish details of action taken on the inspection reports of the Liaison Officer for the last three years.

16. क्या उन पदों के लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि शामिल किया जाता है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छूट/रियायतें लागू हैं। यदि हां तो कृपया भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के सदस्य की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का स्तर इंगित करें।
Is any representative of SC/ST included in various Recruitment/Board/ Selection/ Committees/DPCs for the post wherein reservations/concessions for SC/ST are applicable? If so, the level of SC/ST representation as compared to the member of the Recruitment Boards/Selection Committees/DPCs may please be indicated.
17. क्या सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित की जाती है? कृपया यह भी बताएं कि क्या विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ और संगठनों को भेजी जाती है।
Are the number of posts reserved for SC/ST clearly indicated in the advertisement for direct recruitment? Also, please state whether copies of advertisement are sent to Welfare Association and Organisations of SCs and STs.
18. क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग तारीखों अर्थात् विभिन्न पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन को छोड़कर अन्य दिनों को लिया जाता है?
Are the SC and ST candidates interviewed on separate dates i.e. other than the days on which the general candidates are interviewed for various posts?
19. सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जब कभी भी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है, ऐसी परीक्षाओं के लिए, जहां परीक्षा में काफी संख्या में जनजातीय उम्मीदवार शामिल होते हैं, परीक्षा के सामान्य केन्द्रों के अतिरिक्त, सभी स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए। जहां चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है भर्ती बोर्डों को उन स्थानों पर भेजा जाना चाहिए जहां अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की बहुलता है।
According to the instructions issued by the Government, whenever recruitment is made on the basis of competitive examination, centres for such examinations should be set-up at all places where a sizeable number of tribal candidates appear in the examination in addition to usual centres of examination where selection is made by interview, the Recruitment Boards should be sent to places where there is a concentration of ST candidates.
(क) कृपया बताएं कि क्या इन निर्देशों का बिना फेरबदल किए अनुसरण किया जाता है? यदि नहीं तो क्या कारण है?
Please state whether these instructions are followed invariably? If not, what the reasons.
(ख) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्देशों के अनुसरण में जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित परीक्षा केंद्रों की संख्या बताएं।
Please state the number of examination centres set-up in tribal areas in pursuance of the above instructions during the last three years.
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय बहुलता वाले स्थानों (स्थानों का नाम इंगित करें) में कितनी बार भर्ती बोर्डों को भेजा गया है।
How many times Recruitment Boards have been sent to places (name of the places to be indicated) having concentration of tribal during the last three years.
20. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के डि-रिजर्वेशन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को बताएं। कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान अनारक्षित, आगे ले जायी गयी एवं प्रत्येक श्रेणी के पदों के संबंध में पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष/वर्षों में अनुसूचित जनजातियों उम्मीदवारों द्वारा भरी गई रिक्तियों का व्यौरा प्रस्तुत करें।
State the procedure followed for de-reservation of vacancies reserved for Scheduled

Tribes. Please, give the details of vacancies de-reserved, carried forward and those filled by the ST candidates in the subsequent recruitment year(s) in respect of each category of posts during the last three year.

21. कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार पदों की संख्या दें जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी परन्तु योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या के अभाव में सामान्य उम्मीदवारों से पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा भरी गई, जहां पदोन्नतियां/सीधी भर्ती चयन द्वारा की गई थी। Please give the number of posts category-wise which were reserved for SC/ST but were filled up by promotion/direct recruitment from general candidates for want of adequate number of eligible SC/ST candidates where promotions/direct recruitment were made by selection during the last three year.
22. कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक/स्थापना से विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या बताएं।
Please give the number of employees sent for specialised training abroad during the last three years and the number of SC/ST employees among them in each year from each Unit/Establishment.
23. क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में नकली जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त किया हो? यदि हां तो कृपया ऐसे मामलों की संख्या, की गई कार्रवाई और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति इंगित करें। कृपया ऐसे मामलों के घटित होने से टालने के लिए उठाये गये कदमों को इंगित करें।
Are there instances where persons have obtained employment in University/Educational Institution on the basis of false ST certificates? If so, please indicate the number of such cases, action taken and present position of each case. Also, please indicate the steps taken to avoid the occurrence of such cases.
24. विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अध्येताओं, वरिष्ठ अध्येताओं और परामर्शकों के पदों की संख्या, भरे हुए पदों की संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जनजाति के पदधारियों की संख्या क्या है? कनिष्ठ अध्येताओं, वरिष्ठ अध्येताओं और परामर्शकों के चयन एवं अधिनिर्णय करते समय अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने हेतु क्या तंत्र/रोस्टर अपनाया जाता है।
What is the no. of posts of Jr. Fellowships, Sr. Fellowships and Consultants in various Deptts. of the University/Educational Institution, no. filled and the no. of STs among them. What is the mechanism/roster for providing reservation for STs while making selection and award of JFs, SFs, and Consultants.

विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान की अकादमिक गतिविधियां

Academic Activities of the University/Educational Institution

25. (i) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाये जा रहे अकादमिक पाठ्यक्रम क्या है?
What are the academic courses run by the University/Educational Institution?
- (ii) कृपया प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की संख्या इंगित करें।
Please indicate the no. of seats available for each course and the seats reserved for STs.
26. कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भरी गई वास्तविक सीटों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों को आवंटित सीटों की संख्या इंगित करें। Please indicate the actual seats filled and no. of seats allotted to STs under each course during the last three years.

27. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है? अद्यतन प्रवेश विवरणिका/निर्देशों की प्रति संलग्न करें।
What is the prescribed for admission to various courses? A copy of latest admission brochure/instructions may be enclosed.
28. अधिस्नातक स्तर पर विभिन्न अध्ययन के विषयों में विशेषीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों का आरक्षण करने के लिए क्या मापदंड है? क्या यह चक्रानुक्रम या किसी अन्य विधि द्वारा है? कृपया व्यौरा प्रस्तुत करें।
What is the criterion for making reservation of seats for STs for making admission to specialized courses in various disciplines at PG level? Is it by rotation or any other method? Please furnish details.
29. क्या स्नातक/अधिस्नातक एवं विशेषीकृत अध्ययन विषयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यदि हां तो कृपया इंगित करें कि क्या छात्रावास की सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और कुल उपलब्ध सीटों में से अनुसूचित जनजातियों द्वारा धारित छात्रावास की सीटों की संख्या बताएं।
Whether Hostel facilities are available for the students of undergraduate, postgraduate & specialized disciplines? If so, please indicate whether hostel seats are reserved for Scheduled Tribes and the no. of hostel seats occupied by Scheduled Tribes out of total seats available.
30. कृपया इंगित करें कि क्या छात्रावास की सीटें (या एक हॉस्टल ब्लॉक) अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए छात्रावासों तथा अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से जोड़ी गई थी। यदि हां तो जोड़ी गयी सीटों का व्यौरा प्रस्तुत करें।
Please indicate whether hostel seats (or a Hostel block) were added specially for STs with the Central Assistance under the Central Sector/Centrally Sponsored Scheme of Hostels for ST Boys and Hostels for ST Girls. If so, details of the seats added may be furnished.
31. विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या है? अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में क्या समस्याएं या कठिनाइयां हैं?
What is the procedure for grant of Govt. of India scholarships to ST students pursuing various courses in the University/Educational Institution? What are the problems of difficulties in obtaining scholarship to ST students?
32. क्या अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों से संबंधित शिकायतों और समस्याओं को संपर्क अधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) भी देखता है, यदि नहीं तो अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या तंत्र हैं? पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से सामाजिक उत्पत्ति के आधार पर गैर-अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पीड़न एवं भेदभाव से संबंधित कितने मामले थे?
Whether LO (SC/ST) also looks into the grievances and problems relating to ST students? If not, what is the mechanism for redress of the problems of ST students? How many complaints were received from ST students during last three year and how many of those related to harassment and discrimination by non-ST on ground of social origin.

33. क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है? यदि हां तो कृपया ऐसे मामलों की संख्या, की गई कार्रवाई और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति इंगित करें। कृपया ऐसे मामलों को घटित होने से टालने के लिए उठाये गये कदमों को भी इंगित करें।
- Are there instances where persons have obtained admission in a course in University/Educational Institution on the basis of false ST certificates? If so, please indicate the number of such cases, action taken and present position of each case. Also, please indicate the steps taken to avoid the occurrence of such cases.

अन्य गतिविधियां

Other activities

34. कृपया पिछले पांच वर्षों के दौरान संगठन की अनुसूचित जाति योजना/जनजातीय उप योजना के अंतर्गत गांवों को गोद लेने, जनजातीय क्षेत्रों का विकास, ऐसे बिन्दुओं पर अनुसंधान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जनजातियों और/या जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभप्रद हों तथा गरीब अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और समाजार्थिक विकास के लिए विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों/अनुसंधान अध्ययनों का विवरण प्रस्तुत करें।
- Please give the details of the various activities/research studies taken up by the University/Educational Institution for the welfare and socio-economic development of SCs/STs under the SCP/TSP of the Organisation, like adoption or villages, development in tribal areas, research on topics which are to benefit the Scheduled Tribes and/or tribal areas, directly or indirectly and free education to poor ST persons during the last five years.

दिनांक:

Date:

(मोहर)

(SEAL)

हस्ताक्षर

Signature

नाम

Name

(विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान के नॉडल अधिकारी का पदनाम

Designation

of the Nodal Officer

University/Educational Institution)